न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/318/2016

उनवान

1. श्री मोहन पिता हजारी तेली के बजाय–
   1/1–गोटुलाल पिता मोहनलाल तेली निवासी गणेशपुरा जिला भीलवाड़ा
   1/2– मुकेश पिता मोहनलाल तेली निवासी गणेशपुरा जिला भीलवाड़ा
   1/3– मांगीबाई पत्नि मोहनलाल तेली निवासी गणेशपुरा जिला भीलवाड़ा
   1/4– मोत्था पुत्री मोहनलाल तेली निवासी गणेशपुरा जिला भीलवाड़ा
   1/5– सुगंनी पुत्री मोहनलाल तेली निवासी गणेशपुरा जिला भीलवाड़ा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री भैरू पिता ऊंकार तेली निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
2. श्री कालू पिता ऊंकार तेली निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
3. श्री बद्री पिता ऊंकार तेली निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
4. मांगीबाई पुत्री ऊंकार तेली निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
5. रूकमा पुत्री ऊंकार तेली निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
6. धन्नी पुत्री ऊंकार तेली निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
7. सीता पुत्री ऊंकार तेली निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

8. श्री प्रभूलाल पिता गोपी तेली निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
9. श्री मांगीलाल पिता गोपी तेली निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
10. शांति पुत्री गोपी तेली निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
11. मोहनी पुत्री गोपी तेली निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
12. बरजी बेवा गोपी तेली निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
13. श्री शंकर पिता खाना तेली निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
14. श्री प्यारा पिता खाना तेली निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
15. प्रेम पुत्री खाना तेली निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
16. श्रीमान तहसीलदार साहब बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया के प्रकरण संख्या 125/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.07.2012

अधिवक्तागण :–

1. श्री राकेश चौहान, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 05.09.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण /वादीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देवनगर तहसील बिजौलिया की आराजी नम्बर 94 रकबा 6.02 बीघा, आ0नं0 95 रकबा 14.08बीघा कुल कीता 2 कुल रकबा 20.10 बीघा भूमि भैरू, कालू, बदरी, मांगीबाई, मु0 धन्नी, सीता पुत्री उंकार, प्रभूलाल, मांगीलाल, शान्ती, मोहनी पिता गोपी , बरजी बेवा गोपी के नाम खातेदारी से राजस्व रेकार्ड में अंकित है। इसी प्रकार ग्राम देवनगर में स्थित आ0नं0 113/94 रकबा 10.07 बीघा भूमि शंकर , प्यारा पिता खाना, प्रेम पुत्री खाना तेली के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित है। वादी एवं प्रतिवादी का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैः–

हजारी

उंकार(मृत) — गोपी(मृत) — मोहन(वादी) — भज्जा(मृत)

- उंकार(मृत) → भैरू–कालू–बदरी–मांगीबाई–रूकमा–धन्नी–सीता
- गोपी(मृत) → प्रभूलाल,मांगीलाल,शान्ति,मोहनी,बरजी
- भज्जा(मृत) → खाना(फौत) → शंकर–प्यारा–प्रेम

2. यह कि वादी का उक्त विवादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 से 15 का 3/4 हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हक हिस्से पर बरसों से काबिज होकर शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे हैं। उक्त भूमि पूर्व में उंकार, गोपी पिता हजारी तेली को आवंटन हुई। उस समय उंकार, गोपी, मोहन, भज्जा शामिल रहा करते थे उक्त भूमि शामिल में ही बनाई थी। उक्त भूमि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के पुराने नम्बर 11 मीन व 15 मीन है जिसके नए नम्बर 94, 95 बने हैं। प्रतिवादीगण ने उक्त विवादग्रस्त भूमि का एक इकरारनामा दिनांक 23.04.1999 को वादी के पक्ष में 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने बाबत निष्पादित किया। उक्त भूमि विगत 50 वर्षों से वादी के कब्जे व उपभोग में चली आ रही है। उक्त भूमि पुश्तेनी होकर हजारी के जीवनकाल में मौखिक रूप से पांती बटवाड़ा कर लिया गया और इसी बटवाड़े अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज होकर निरन्तर काश्त करते आ रहे हैं। वादी ने उक्त 1/4 हिस्से को अपने नाम पर दर्ज कराने हेतु प्रतिवादीगण को दिनांक 10.05.2005 को कहा तो वे इन्कार हो गये जिससे उक्त वादपत्र पेश करने की नोयत पैदा हुई। अतः वादी को ग्राम देवनगर की आ0नं0 94, 95 व 113/94 में वादी को 1/4 हिस्से का पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं वादी के उक्त 1/4 हिस्से पर प्रतिवादीगण कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे, रोक टोक नहीं करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराई जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। वादीगण के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण ने अधिवक्ता नियुक्त किया । अधिवक्ता ने यह विश्वास दिलाया कि जब कभी भी प्रार्थीगण की आवश्यकता होगी तो उसे बुला लिया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जायेगा। प्राथीगण अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिससे अधिवक्ता व प्रार्थीगण की अनुपस्थिति के कारण वाद में एक पक्षीय आदेश पारित किया गया। प्राथीगण को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी हुई तो दिनांक 15.10.2016 को प्रतिलिपि का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त की ओर बिना विलम्ब के यह अपील प्रस्तुत की है। अतः नकल प्राप्ति दिनांक से अपील प्रस्तुत करने तक की अवधि के समय को कन्डोन फरमाते हुए अपील को मियाद में शुमार फरमावें। ।

6. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि विवादग्रस्त भूमि पूर्व में उंकार–गोपी पिता हजारी तेली को आवंटन हुई थी। उस समय उंकार–गोपी–मोहन–भज्जा शामिल में रहते थे तथा उक्त भूमि शामिल में ही बनाई थी। उक्त भूमि के पुराने नम्बर 11मीन व 15 मीन थे जिसके नये नम्बर 94 व 95 बने। रेस्पोडेन्टगण ने उक्त विवादग्रस्त भूमि का एक इकरारनामा दिनांक 23.04.1999 को अपीलाण्ट के पक्ष में 1/4 हिस्से को राजस्व रेकार्ड में अंकित किये जाने हेतु निष्पादित किया। उक्त 1/4 हिस्सा विगत 50 वर्षों से अपीलान्ट/वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही है।उक्त भूमि पुश्तैनी होकर हजारी के जीवनकाल में उक्त भूमि का मौखिक रूप से पांती बटवाड़ा कर लिया गया तथा पांती बटवाड़े अनुसार अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्टगण काबिज होकर निरन्तर शान्तिपूर्वक काश्त करते आ रहे हैं। उक्त 1/4 हिस्से को अपीलार्थी/वादी ने अपने नाम कराने हेतु प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टगण को कहा तो मना कर दिया इसलिए वादकारण पैदा हुआ। वादी/अपीलार्थी मोहन की मृत्यु हुए काफी अर्सा हो चुका है और अपीलार्थीगण अपने अपने कार्यों में व्यस्त होकर बाहर कमा खाने चले गये थे। अधिनस्थ न्यायालय में वाद अपीलार्थीगण के पिता द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अपीलार्थीगण द्वारा अधिवक्ता से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

सम्पर्क किया तो उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्यों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है तो निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खारिज फरमाई जावे।

7. हमने वादीगण/अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की बहस के तथ्यों एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया। अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं सतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

8. अपीलार्थीगण/वादीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी होने तथा प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट के द्वारा वादी के पक्ष में दिनांक 23.04.1999 को एक इकरार लिखे जाने से 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमावें। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 13 व 14 के द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया। जवाब में अंकित किया कि वादपत्र में वर्णित सजरा गलत है। हजारी के चार पुत्र दर्शाये जिसमें भज्जा को पुत्र बताया जो गलत है क्योंकि हजारी व भज्जा दोनो सगे भाई हैं। हजारी के पांच पुत्र भवाना–खाना–उंकार–गोपी व मोहन है। आ0नं0 113/94 पुश्तैनी भूमि नहीं होकर स्वअर्जित है। उक्त भूमि जवाबदाता को आवंटन से प्राप्त हुई। उक्त भूमि पर वादी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। भज्जा वादी का काका लगता है जिसके पुरूष संतान नहीं होने से भज्जा ने जवाबदाता के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पिता खाना को गोद रखा था। जवाबदाता के द्वारा दिनांक 23.04.1999 को किसी प्रकार का इकरारनामा निष्पादित नहीं किया है यदि वादी के पास ऐसा कोई दस्तावेज है तो वह फर्जी कूट रचित है। इसलिए आ0नं0 113/94 के लिए वादीगण का वाद खारिज फरमावें।

9. अधिनस्थ न्यायालय में 4 तनकीयात कायम की गई जिसमें प्रथम बिन्दु आया ग्राम देवनगर में स्थित आ0नं0 94, 95 रकबा 20.10 बीघा व आ0लं0 113/94 रकबा 10.07 बीघा भूमि में वादी मोहन तेली का 1/4 हिस्सा है। उक्त बिन्दु की ताईद में ग्राम देवनगर पटवार हल्का सदारामजी का खेड़ा की नकल जमाबन्दी सम्वत्2057 से 60 में आ0नं0 94, 95 कीता 2 कुल रकबा 20.10 बीघा भूमि श्री भैरू–कालू–बद्री–मांगीबाई–रूकमा–धन्नी–सीता पिता उंकार, प्रभूलाल–मांगीलाल–शांति–मोहनी पिता गोपी व बरजी बेवा गोपी तेली सा0 गणेशपुरा के नाम खातेदारी से दर्ज है। हाल आ0नं0 94 साबिक आ0नं0 11 मी से एवं हाल आ0नं0 95 साबिक आ0नं0 11मी व 15मी से बनना खसरा भूप्रबन्ध से सिद्ध होता है जो श्री उंकार, गोपी पिता हजारी तेली सा0 गणेशपुरा अलोटी गैर खातेदार अंकित है। ग्राम देवनगर की आ0नं0 113/94 रकबा 10.07 बीघा भूमि सोहनबाई पत्नि खाना तेली सा0गणेशपुरा के नाम गैरखातेदारी से नकल जमाबन्दी सम्वत् 2053 से 2056 में दर्ज है। सोहनबाई की मृत्यु होने पर विरासत के नामान्तरकरण संख्या 279 दिनांक 08.09.1998 से श्री शंकर–प्यारा–प्रेम पिता खाना तेली सा0 गणेशपुरा गैर खातेदार दर्ज हुआ। उक्त दस्तावेज(जमाबन्दियां) से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमियां वादी स्व0 मोहन पिता हजारी की पैतृक नहीं है जैसाकि खसरा भूप्रबन्ध के अनुसार साबिक आ0नं0 11मी व 15 मी श्री उंकार व गोपी पिता हजारी तेली को आवंटित हुई जो कि गैरखातेदारी से दर्ज

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

थी। तथा आ0नं0 113/94 सोहनबाई पत्नि खाना तेली सा0 गणेशपुरा को आवंटित होकर गैरखातेदारी से दर्ज होना नकल जमाबन्दी सम्वत् 2053 से 56 द्वारा प्रमाणित होता है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमियां वादीगण की पैतृक होना किसी भी तरह से प्रमाणित नहीं है। परन्तु फिर भी वादी स्व0 मोहन के द्वारा प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट की ओर से वादी के पक्ष में वादग्रस्त आराजीयात में 1/4 हिस्से को वादी के पक्ष में दिए जाने का एक इकरारनामा दिनांक 23.04.1999 को टंकित है को प्रस्तुत कर वादी 1/4 हिस्से की खातेदारी चाहता है परन्तु वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी नहीं है ऐसी स्थिति में वादीगण किसी भी तरह से 1/4 हिस्से की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इकरारनामा दिनांक 23.04.1999 कहां पर व किसके द्वारा टंकित किया लेख्यकर्ता के कोई हस्ताक्षर नहीं है। जिससे भी उक्त इकरारनामा ग्राह्य योग्य नहीं माना जा सकता है। वादीगण/अपीलार्थी के द्वारा आराजीयात हजारी की होने के सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। यहां तक कि वादग्रस्त आराजीयात के अपने 1/4 हिस्से पर विगत 50 वर्षों से कब्जा काश्त होने के सम्बन्ध में कोई खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की है।

10- उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण/अपीलार्थीगण अपने वाद/अपील की ताईद में वादग्रस्त भूमि के पुश्तैनी अर्थात हजारी की होने सम्बन्धी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं एवं अपने 1/4 हिस्से पर विगत 50 वर्षों से कब्जा काश्त होने के सम्बन्ध में भी कोई राजस्व रिकॉर्ड यथा खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की है। इकरारनामा जो प्रस्तुत किया है उस पर लेख्यकर्ता के कोई हस्ताक्षर नहीं है जिससे वादी के कथन की ताईद में ग्राह्य नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार वादीगण/अपीलार्थीगण अपने वाद/अपील को सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहे हैं ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री उचित होने से उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है।

11- अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.07.2012 को यथावत रखा जाता है।

12. निर्णय आज दिनांक 05.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

5/9/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा